Lyceum India Journal of Social Sciences || ISSN (Online): 3048-6513
Volume: 3 Issue: 5 || April 2026 || DOI: 10.5281/zenodo.19690867

दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के नए श्रमिकों के अधिकारों का संघर्ष

केशव सैनी[1]

सारांश

यह लेख दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के नए श्रमिकों के अधिकारों और उनके समकालीन संघर्ष का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा असंगठित श्रम पर आधारित है, किंतु इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्थिर आय और विधिक संरक्षण का पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। विशेष रूप से दिल्ली जैसे महानगर में प्रवासी मजदूर, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर शहरी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग हैं।

लेख में संगठित और असंगठित क्षेत्र की अवधारणा, श्रम कानूनों की सीमाएँ, सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा, लैंगिक असमानता तथा गिग इकॉनमी के उदय से उत्पन्न नई चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन दर्शाता है कि विधिक प्रावधानों और वास्तविक क्रियान्वयन के बीच एक गहरा अंतर विद्यमान है। डिजिटल श्रम के विस्तार ने रोजगार के नए अवसर तो प्रदान किए हैं, परंतु श्रमिकों की कानूनी स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है।

अंततः लेख यह तर्क प्रस्तुत करता है कि असंगठित और गिग श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट नीतिगत सुधार, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार तथा जागरूकता की आवश्यकता है, ताकि आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय की स्थापना भी सुनिश्चित की जा सके।

कीवर्डस : असंगठित क्षेत्र**,** गिग इकॉनमी**,** श्रमिक अधिकार**,** सामाजिक सुरक्षा**,** शहरी श्रम

प्रस्तावना

भारत की अर्थव्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग असंगठित क्षेत्र पर आधारित है। देश के कुल श्रमबल का एक बड़ा हिस्सा ऐसे कार्यों में लगा है, जहाँ उन्हें स्थायी रोजगार, निश्चित वेतन, सामाजिक सुरक्षा अथवा विधिक संरक्षण उपलब्ध नहीं होता। यह क्षेत्र निर्माण कार्य, घरेलू सेवाएँ, सड़क विक्रय, परिवहन, लघु उद्योग तथा हाल के वर्षों में

[1] BA (H) Political Science (4th Year), Ram Lal Anand college, University of Delhi

डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित सेवाओं तक विस्तृत हो चुका है। असंगठित श्रमिक देश की आर्थिक गतिविधियों को निरंतर गति प्रदान करते हैं, किंतु चिंता यह है कि उनके अधिकारों की स्थिति बहुत ही कमजोर बनी हुई है।

दिल्ली, जो भारत की राजधानी होने के साथ साथ एक प्रमुख शहरी और आर्थिक केंद्र भी है, असंगठित श्रमिकों की बड़ी आबादी का निवास स्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर निर्माण स्थलों, औद्योगिक क्षेत्रों, बाज़ारों और घरेलू कार्यों में लगे हैं। इसके अतिरिक्त पिछले एक दशक में डिजिटल तकनीक के विस्तार ने श्रम के स्वरूप को भी बदला है। आज ऐप आधारित सेवाओं जैसे भोजन वितरण, कैब सेवाएँ और डिलीवरी से जुड़े हजारों युवा श्रमिक दिल्ली की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। यह नया श्रमिक वर्ग देखने में आधुनिक और स्वतंत्र प्रतीत होता है, परंतु उनकी कार्य स्थितियाँ पारंपरिक असंगठित श्रमिकों से बहुत भिन्न नहीं हैं।

असंगठित क्षेत्र की मूल समस्या अधिकारों और वास्तविकता के बीच मौजूद अंतर है। भारतीय संविधान तथा विभिन्न श्रम कानून श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ और सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन देते हैं, किंतु व्यवहारिक स्तर पर इन प्रावधानों का लाभ अधिकांश असंगठित श्रमिकों तक नहीं पहुँच पाता। विशेष रूप से गिग इकॉनमी से जुड़े श्रमिकों की कानूनी स्थिति अब भी अस्पष्ट है, जिससे उनके अधिकारों की सुरक्षा और भी जटिल हो जाती है।

वर्तमान समय में जब शहरीकरण, डिजिटलीकरण और अस्थायी रोजगार की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि असंगठित क्षेत्र के नए श्रमिक वर्ग की स्थिति का अध्ययन किया जाए। यह लेख दिल्ली के संदर्भ में असंगठित और डिजिटल श्रमिकों के अधिकारों की वास्तविक स्थिति, उनकी चुनौतियों तथा नीतिगत सीमाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। साथ ही यह समझने का प्रयास करता है कि 21वीं सदी में श्रमिकों का संघर्ष किस प्रकार पारंपरिक आर्थिक प्रश्नों से आगे बढ़कर सामाजिक और तकनीकी आयामों से जुड़ गया है।

उद्देश्य

- दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संरचना और उनके कार्य-स्थितियों का विश्लेषण करना।
- संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच अंतर तथा श्रम कानूनों की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।
- असंगठित श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं तथा लैंगिक असमानताओं को समझना।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के उदय और उनके कार्य नियंत्रण का विश्लेषण करना।
- श्रमिक अधिकारों और वास्तविक स्थिति के बीच मौजूद अंतर का आलोचनात्मक अध्ययन करना।

अनुसंधान पद्धति

इस अध्ययन में गुणात्मक और विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया गया है। यह एक द्वितीय शोध पर आधारित लेख है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे शोध लेख, सरकारी रिपोर्ट, नीतिगत दस्तावेज, समाचार पत्रों तथा ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया गया है।अध्ययन की पद्धति व्याख्यात्मक और विषयगत है, जिसके अंतर्गत असंगठित श्रम, गिग इकॉनमी, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रमिक अधिकारों से संबंधित प्रमुख विषयों का विश्लेषण किया गया है। दिल्ली को एक शहरी अध्ययन के रूप में लेते हुए, असंगठित और डिजिटल श्रमिकों की वास्तविक परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया गया है।

इस शोध में श्रम कानूनों, सामाजिक आर्थिक संरचना तथा समकालीन डिजिटल परिवर्तनों को जोड़ते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे श्रमिक अधिकारों और उनकी वास्तविक स्थिति के बीच मौजूद अंतर का आलोचनात्मक विश्लेषण किया जा सके।

संगठित और असंगठित क्षेत्र की अवधारणा एवं श्रम कानूनों का परिप्रेक्ष्य

भारतीय श्रम संरचना को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र वह होता है जहाँ श्रमिकों को लिखित अनुबंध, निश्चित वेतन, निर्धारित कार्य समय तथा सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। इस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को भविष्य निधि, बीमा, अवकाश और पेंशन जैसी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं तथा वे विधिक संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। सरकारी विभाग, बड़ी निजी कंपनियाँ और पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ प्रायः संगठित क्षेत्र का हिस्सा मानी जाती हैं।

इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र वह श्रम क्षेत्र है जहाँ रोजगार की शर्तें अनौपचारिक होती हैं। यहाँ अधिकांश कार्य मौखिक समझौते पर आधारित होते हैं और श्रमिकों को न तो स्थायी नियुक्ति मिलती है, न निश्चित वेतन और न ही सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी विक्रेता, रिक्शा चालक तथा छोटे ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले श्रमिक इसी श्रेणी में आते हैं। हाल के वर्षों में डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिक भी व्यापक रूप से इसी असंगठित ढाँचे का हिस्सा बन गए हैं।

संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच मुख्य अंतर कानूनी संरक्षण और कार्य-स्थितियों का है। संगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों का पालन अपेक्षाकृत बेहतर होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में इन कानूनों का प्रभाव सीमित दिखाई देता है। भारत में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, असंगठित

श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। इनका उद्देश्य श्रमिकों को उचित वेतन, बीमा, पेंशन और सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ प्रदान करना है।

किन्तु व्यवहारिक स्तर पर इन कानूनों का लाभ असंगठित श्रमिकों तक पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाता। इसका एक प्रमुख कारण श्रमिकों में अधिकारों की जानकारी का अभाव, प्रशासनिक जटिलताएँ तथा पंजीकरण प्रक्रिया की कठिनाइयाँ हैं। दिल्ली जैसे महानगर में बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक कार्यरत हैं, जिनके पास आवश्यक दस्तावेज या स्थायी पहचान नहीं होती, जिससे वे सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विधिक प्रावधानों और वास्तविक क्रियान्वयन के बीच एक गहरा अंतर विद्यमान है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक औपचारिक रूप से कानूनों के अंतर्गत आते तो हैं, परंतु व्यावहारिक रूप में वे संरचनात्मक असुरक्षा का सामना करते हैं। यही अंतर आगे चलकर श्रमिक अधिकारों के संघर्ष का मूल आधार बनता है, विशेषकर दिल्ली जैसे शहरी संदर्भ में जहाँ पारंपरिक और डिजिटल दोनों प्रकार के श्रमिक एक साथ मौजूद हैं।

दिल्ली में असंगठित श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और लैंगिक आयाम

दिल्ली जैसे महानगर में असंगठित श्रमिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति गहरी असुरक्षा से घिरी हुई है। राजधानी होने के कारण दिल्ली रोजगार के अवसर प्रदान करती है, जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान तथा अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक यहाँ आते हैं। ये श्रमिक निर्माण कार्य, घरेलू सेवाओं, छोटे उद्योगों, परिवहन तथा अस्थायी श्रम कार्यों में संलग्न रहते हैं। परंतु इनकी आय दैनिक मजदूरी पर आधारित होती है, जिससे आर्थिक स्थिरता का अभाव बना रहता है।

असंगठित श्रमिकों की सबसे बड़ी समस्या आय की अनिश्चितता है। चूँकि उनका रोजगार स्थायी नहीं होता, इसलिए कार्य की उपलब्धता पर ही उनकी आय निर्भर करती है। किसी भी कारणवश कार्य रुक जाने पर उनके पास आय का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं होता। बचत की सीमित क्षमता और महँगाई के बढ़ते स्तर के कारण उनका जीवन निरंतर आर्थिक दबाव में रहता है। विशेषकर शहरी क्षेत्रों में आवास, भोजन और परिवहन की लागत अधिक होने से उनकी स्थिति और कठिन हो जाती है।

सामाजिक सुरक्षा का अभाव इस वर्ग की एक और गंभीर चुनौती है। अधिकांश असंगठित श्रमिकों के पास स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, पेंशन या भविष्य निधि जैसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं। निर्माण स्थलों या सड़क पर कार्य करते समय दुर्घटना का जोखिम अधिक होता है, किंतु दुर्घटना की स्थिति में उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पाता। इसी प्रकार बीमारी की स्थिति में आय रुक जाने से उनका जीवन संकट में पड़ जाता है।

Lyceum India Journal of Social Sciences || ISSN (Online): 3048-6513
Volume: 3 Issue: 5 || April 2026 || DOI: 10.5281/zenodo.19690867

लैंगिक आयाम इस समस्या को और जटिल बना देता है। महिला श्रमिकों को प्रायः पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है, भले ही कार्य समान क्यों न हो। घरेलू कामगार महिलाओं को कार्य समय की अनिश्चितता, असुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ तथा सामाजिक सम्मान की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अनेक महिलाएँ घर और कार्यस्थल दोनों का दायित्व निभाती हैं, जिससे उन पर दोहरा बोझ पड़ता है। इस प्रकार असंगठित क्षेत्र में लैंगिक असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

इसके अतिरिक्त, श्रमिकों में अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता का अभाव भी उनकी स्थिति को कमजोर करता है। यद्यपि सरकार द्वारा ई श्रम पंजीकरण तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं, परंतु इनका लाभ सीमित संख्या में श्रमिकों तक ही पहुँच पाता है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता, दस्तावेजों की कमी और जानकारी का अभाव इनके मार्ग में बाधा बनते हैं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित श्रम और नए श्रमिक वर्ग का उदय

21वीं सदी के दूसरे दशक में डिजिटल तकनीक और स्मार्टफोन के प्रसार ने श्रम के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन का प्रमुख रूप गिग इकॉनमी के रूप में सामने आया है। गिग इकॉनमी उस व्यवस्था को दर्शाती है जिसमें श्रमिक स्थायी कर्मचारी न होकर प्रति-कार्य या अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर कार्य करते हैं। दिल्ली जैसे महानगर में भोजन वितरण, कैब सेवाएँ, ऑनलाइन घरेलू सेवाएँ और डिलीवरी जैसे स्विग्गी,ब्लिंकित,जोमाटो आदि, से जुड़े हजारों युवा इस नई श्रम प्रणाली का हिस्सा बन चुके हैं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों की कार्य प्रणाली पारंपरिक असंगठित श्रमिकों से भिन्न प्रतीत होती है, किंतु उनके अधिकारों की स्थिति समान रूप से असुरक्षित है। इन श्रमिकों का कार्य मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नियंत्रित होता है। ऐप ही यह निर्धारित करता है कि किसे कितना काम मिलेगा, किस क्षेत्र में जाना होगा और भुगतान की दर क्या होगी। एप्लीकेशन आधारित यह नियंत्रण प्रणाली श्रमिकों को प्रत्यक्ष रूप से किसी ठेकेदार के अधीन नहीं दिखाती, परंतु वास्तव में वे पूरी तरह डिजिटल नियमों पर निर्भर होते हैं।

रेटिंग प्रणाली और इंसेंटिव आधारित भुगतान गिग वर्करों की कार्य स्थितियों को और जटिल बनाते हैं। यदि किसी ग्राहक द्वारा कम रेटिंग दी जाती है तो उसका प्रभाव श्रमिक की आय और भविष्य के कार्य अवसरों पर पड़ता है। इसी प्रकार कंपनियाँ समय समय पर इंसेंटिव संरचना में परिवर्तन करती रहती हैं, जिससे आय की स्थिरता प्रभावित होती है। यह अनिश्चितता श्रमिकों को अधिक समय तक कार्य करने के लिए बाध्य करती है, जिससे शारीरिक और मानसिक दबाव बढ़ता है।

Lyceum India Journal of Social Sciences || ISSN (Online): 3048-6513
Volume: 3 Issue: 5 || April 2026 || DOI: 10.5281/zenodo.19690867

पारंपरिक और डिजिटल असंगठित श्रमिकों की तुलना करने पर कुछ महत्वपूर्ण अंतर सामने आते हैं। पारंपरिक श्रमिकों का नियंत्रण ठेकेदार या नियोक्ता द्वारा होता है, जबकि गिग श्रमिकों का नियंत्रण ऐप के माध्यम से होता है। पारंपरिक शोषण प्रत्यक्ष और दृश्य होता है, जबकि डिजिटल शोषण अप्रत्यक्ष और तकनीकी रूप में छिपा होता है। दोनों ही स्थितियों में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्थायी रोजगार का अभाव रहता है, परंतु डिजिटल श्रमिकों के मामले में कानूनी स्थिति और अधिक अस्पष्ट हो जाती है क्योंकि उन्हें स्वतंत्र साझेदार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

दुर्घटना जोखिम, बीमा की कमी और आय में उतार-चढ़ाव जैसी समस्याएँ गिग वर्करों के लिए भी उतनी ही गंभीर हैं जितनी पारंपरिक असंगठित श्रमिकों के लिए। दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर कार्य करते समय डिलीवरी एजेंट और कैब चालक लगातार जोखिम का सामना करते हैं, किंतु दुर्घटना की स्थिति में उन्हें सीमित सहायता ही मिलती है।

इस प्रकार डिजिटल श्रम का उदय आधुनिकता का प्रतीक अवश्य है, परंतु यह श्रमिकों की असुरक्षा को समाप्त नहीं कर पाया है। बल्कि कई संदर्भों में इसने शोषण के नए, तकनीकी और अदृश्य रूपों को जन्म दिया है, जो श्रमिक अधिकारों के प्रश्न को और अधिक जटिल बनाते हैं।

21वीं सदी में श्रमिक अधिकारों और वास्तविकता के बीच अंतर

भारतीय संविधान तथा विभिन्न श्रम कानून श्रमिकों को समानता, गरिमा और सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन प्रदान करते हैं। कागज़ी रूप में न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ, सामाजिक सुरक्षा और भेदभाव से मुक्ति जैसे अधिकार स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं। तथापि 21वीं सदी के शहरी परिदृश्य, विशेषकर दिल्ली जैसे महानगर में, इन अधिकारों और वास्तविक स्थिति के बीच एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। यही अंतर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संघर्ष का मूल कारण है।

सबसे पहले आर्थिक असमानता का प्रश्न सामने आता है। बढ़ती महँगाई, आवास संकट और अनियमित आय के कारण असंगठित श्रमिक गरीबी के दुष्चक्र में फँसे रहते हैं। न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान होने के बावजूद व्यवहार में अनेक श्रमिकों को निर्धारित दर से कम भुगतान मिलता है। आय की अनिश्चितता के कारण वे दीर्घकालिक योजना या बचत करने में असमर्थ रहते हैं, जिससे सामाजिक गतिशीलता बाधित होती है।

शिक्षा और जागरूकता का अभाव भी इस अंतर को गहरा करता है। अनेक श्रमिक अपने अधिकारों, कानूनों और सरकारी योजनाओं से परिचित नहीं होते। डिजिटल युग में गिग श्रमिकों के लिए स्थिति और जटिल है, क्योंकि उनकी कानूनी पहचान स्पष्ट नहीं है। उन्हें कंपनी का कर्मचारी न मानकर स्वरोज़गार या साझेदार बताया जाता है, जिससे

कंपनियाँ श्रम कानूनों की जिम्मेदारियों से बच निकलती हैं। परिणामस्वरूप सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सीमित हो जाता है।

लैंगिक और क्षेत्रीय असमानताएँ भी इस अंतर को बढ़ाती हैं। महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए कम वेतन, असुरक्षित कार्य वातावरण तथा सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार प्रवासी श्रमिकों को पहचान-पत्र, आवास और स्थानीय समर्थन की कमी के कारण अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शहरी गरीब बस्तियों में रहने वाले श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएँ भी पर्याप्त नहीं हैं, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

नीतिगत स्तर पर सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं, किंतु क्रियान्वयन में अनेक बाधाएँ हैं। पंजीकरण प्रक्रिया की जटिलता, तकनीकी समस्याएँ, जानकारी का अभाव तथा प्रशासनिक ढिलाई के कारण योजनाओं का प्रभाव सीमित रह जाता है। विशेष रूप से डिजिटल श्रमिकों के लिए स्पष्ट और पृथक कानूनी ढाँचे की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, ताकि उनके अधिकारों को विधिक मान्यता और संरक्षण मिल सके।

इस प्रकार स्पष्ट है कि 21वीं सदी में आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के बावजूद असंगठित और गिग श्रमिकों के अधिकारों तथा उनकी वास्तविक जीवन-स्थितियों के बीच एक व्यापक अंतर मौजूद है। यह अंतर केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक, लैंगिक और नीतिगत आयामों से भी जुड़ा हुआ है, जो श्रमिक अधिकारों के संघर्ष को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है।

निष्कर्ष

दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के नए श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के बावजूद श्रमिक अधिकारों की वास्तविकता अभी भी संतोषजनक नहीं है। असंगठित और गिग दोनों प्रकार के श्रमिक शहरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, किंतु उनके योगदान के अनुपात में उन्हें सुरक्षा, स्थिरता और सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता। यह विरोधाभास आधुनिक शहरी विकास मॉडल की एक गंभीर सीमा को उजागर करता है।

संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच मौजूद संरचनात्मक अंतर यह दर्शाता है कि विधिक प्रावधानों की उपलब्धता मात्र से सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं हो जाता। न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और समान अवसर जैसे अधिकार कागज़ों पर तो उपलब्ध हैं, परंतु व्यवहारिक स्तर पर इनका क्रियान्वयन कमजोर है। दिल्ली जैसे महानगर में प्रवासी श्रमिकों, निर्माण मजदूरों, घरेलू कामगारों और ऐप आधारित डिलीवरी एजेंटों की वास्तविक स्थिति इस अंतर को स्पष्ट रूप से सामने लाती है।

विशेष रूप से गिग इकॉनमी के उदय ने श्रम संरचना को नई दिशा दी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने रोजगार के अवसर तो बढ़ाए हैं, किंतु साथ ही श्रमिक नियंत्रण के नए और अदृश्य रूपों को भी जन्म दिया है। एल्गोरिद्म आधारित प्रबंधन, रेटिंग प्रणाली और इंसेंटिव संरचना ने श्रमिकों की आय और स्थितियों को अस्थिर बना दिया है। कानूनी दृष्टि से उनकी स्थिति अस्पष्ट होने के कारण वे पारंपरिक श्रम संरक्षण से भी वंचित रह जाते हैं। यह परिस्थिति 21वीं सदी के श्रम विमर्श में एक नए नीतिगत हस्तक्षेप की माँग करती है।

लैंगिक असमानता, शिक्षा और जागरूकता की कमी, शहरी गरीबी और प्रवासी असुरक्षा जैसी समस्याएँ इस संघर्ष को और जटिल बनाती हैं। महिला श्रमिकों की दोहरी जिम्मेदारी तथा असमान वेतन संरचना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसी प्रकार प्रशासनिक जटिलताओं के कारण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सीमित स्तर पर ही पहुँच पाता है।

इन परिस्थितियों में आवश्यक है कि नीतिगत स्तर पर ठोस और व्यावहारिक सुधार किए जाएँ। असंगठित और गिग श्रमिकों के लिए स्पष्ट कानूनी परिभाषा, सरल पंजीकरण प्रक्रिया, दुर्घटना एवं स्वास्थ्य बीमा की अनिवार्यता तथा न्यूनतम आय की गारंटी जैसे उपाय प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। साथ ही श्रमिकों में जागरूकता बढ़ाने और संगठनों की भूमिका को सशक्त करने की आवश्यकता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि यदि दिल्ली जैसे महानगर में श्रमिकों के अधिकारों को वास्तविक रूप में सुनिश्चित किया जाता है, तो यह न केवल आर्थिक स्थिरता बल्कि लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। असंगठित श्रमिकों का संघर्ष केवल आजीविका का प्रश्न नहीं, बल्कि गरिमा और समानता की स्थापना का प्रश्न है

संदर्भ सूची

भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (2020). सामाजिक सुरक्षा संहिता।

भारत सरकार (2008). असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948)।

नीति आयोग (2022). भारत में गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) (2018). अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाएँ और पुरुष

Economic and Political Weekly में प्रकाशित श्रम संबंधी शोध लेख।

The Hindu एवं Indian Express में प्रकाशित श्रमिकों पर आधारित रिपोर्ट्स।

NSSO एवं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट्स

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the publisher, editors, or the editorial board.*